न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–67/2016 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रामनिवास पुत्र श्री जयराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढहलावास तहसील अलवर जिला अलवर राज0 – मृतक
   1/1. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढहलावास तहसील व जिला अलवर राज0 ।
   1/2. लालाराम पुत्र स्व0 श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढहलावास तहसील व जिला अलवर राज0 ।
   1/3. खुशीराम पुत्र स्व0 श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढहलावास तहसील व जिला अलवर राज0 ।
   1/4. योगश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढहलावास तहसील व जिला अलवर राज0 ।
   1/5 नन्दलाल पुत्र स्व0 श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढहलावास तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... वादी/अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार अलवर राज0 ।

..... प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

1. श्री भीमसैन विजय, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.09.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

26/9

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक ख0 नं0 69 जिसका नया नम्बर 590 रकबा 3 बीघा हाल सैटलमेन्ट नम्बर 1014 रकबा 0.77 है0, साबिक ख0 नं0 70 नया नम्बर 589 रकबा 3 बीघा, हाल सैटलमेन्ट नम्बर 1015 रकबा 0.01 है0, 1016 रकबा 0.75, 1024 रकबा 0.39 है0 पर 50 वर्षो से अधिक से वादी निरन्तर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । अतः कानूनन वादी विवादित आराजी का खातेदार हो चुका है । पूर्व में राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा वादी का पुराना कब्जा मानते हुए दि0 15.03.1980 व 31.10.2003 को पारित निर्णय में विवादित आराजी का वादी के पक्ष में विनियमन करने के लिए प्रकरण आवंटन कमेटी के समक्ष रखने के निर्देश दिये हैं । प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां विचाराधीन है । तहसीलदार द्वारा दि0 06.02.1981 व 18.09.1981 को नियमन की सिफारिश की गई है । विवादित आराजी कभी चारागाह नहीं रही । राज्य सरकार के आदेश दि0 02.02.1983 से विवादित आराजी की किस्म भी परिवर्तित हो चुकी है । इसके आस पास की सभी भूमि पर काश्त हो रही है । प्रतिवादी से कई बार निवेदन करने के बाद भी चारागाह के इन्द्राज को कलमजन नहीं किया । विवादित आराजी में वादी का कुआं व रिहायश व पशुओं के लिए मकानात बने हुए हैं । दि0 17.12.2004 को प्रतिवादीगण को सी.पी.सी. की धारा 80 के तहत नोटिस दिया गया व दिनांक 07.03.2005 को प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिससे यह वाद कारण उत्पन्न हुआ है । इसलिए वाद वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने कागजात माल में चारागाह के इन्द्राज कलमजन करके वादी को राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने कैम्प कोर्ट ढहलावास में दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 14.06.2016 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 14.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांट का पुराना कब्जा माना है । दावा सन् 2005 में था । आर.टी.एक्ट लागू होने से पूर्व कब्जा रहा है परन्तु रेकार्ड पर चारागाह मानी है जबकि विवादित आराजी के आसपास कोई चारागाह आराजी नहीं है, मौके पर खातेदारी की आराजी है । दि0 15.03.1980 का राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय है उसमें यह आदेश दिया कि पुराना कब्जा है, नियमन योग्य मामला है तथा न्यायालय ने आवंटन कमेटी के समक्ष रखने

26/9

के लिए कहा । तहसीलदार ने दि0 6.2.1981 व 18.09.1981 को नियमन की सिफारिश की है । राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.02.1983 के आदेश है । इस आराजी की किस्म परिवर्तन हो चुकी है । धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जिसका कोई जवाब नहीं दिया उसके बाद दावा किया गया । दि0 31.10.2003 को पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर में बहस हुई तथा आवंटन कमेटी में रखने के आदेश दिये गये । किस्म परिवर्तन के बाद आवंटन, नियमन हो सकती है । नक्शा पेश किया है, आसपास सभी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । दि0 18.09.1981 को तहसीलदार के आदेश कि पुराना कब्जा होने के कारण पत्रावली उपखण्ड अधिकारी को नियमन हेतु भेजी जावें । दि0 10.8.1999 में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में रामनिवास का 40 वर्षो से कब्जा माना है । सन् 1980 से वादी का पक्का कुआ बना है । किस्म परिवर्तन के आदेश पर भी तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । आदेश की पालना अभी तक क्यों नहीं हुई है ? सन् 1980 व 2003 के राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय का अवलोकन कराया जिसमें रामनिवास के पक्ष में नियमन कर दिया जाना चाहिए । आर.टी.एक्ट से पहले का रेकार्ड अपीलांट ने पेश किया है । जमाबन्दी सम्वत् 2011 में यह जमीन सिवायचक दर्ज है तो चारागाह कहां से हो गयी । दि0 20.02.2004 को वादी ने तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पेश किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जावें। इस पर 24.03.2004 को तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी को लिखा कि प्रकरण आवंटन कमेटी के समक्ष ही आवंटन या सिफारिश हो सकती है, का भेज दिया और धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही ड्राप कर दी । इस सभी तथ्यों को देखते हुए कैम्प कोर्ट में तहत न्यायालय का निर्णय कानून सम्मत नहीं है । तहत न्यायालय ने हमारा कब्जा माना है । प्रथम तनकी में चारागाह नहीं है, सरकार के आदेश से अब सिवायचक है । तहत न्यायालय को रेकार्ड का अवलोकन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए जो नहीं किया गया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिकी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

जवाब बहस में पैरोकार सरकार का कथन है कि ख0 नं0 69, 70, 78 का साबिक रेकार्ड पेश नहीं किया तथा न ही आर.टी.एक्ट लागू होने से पहले का कोई दस्तावेज है । सरकारी जमीन पर एडवर्श पजेशन के आधार पर अपीलांट को कोई रीलीफ नहीं दी जा सकती है । विवादित आराजी बंजड़ कदीम थी । ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार का पत्रावली पर नहीं है कि विवादित आराजी की किस्म परिवर्तन हो सकें । राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि दि0 20.11.2012 का कोई रेकार्ड अपीलांट ने पेश नहीं किया है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । तहत न्यायालय ने तनकीयात कायम करते हुए रेकार्ड का पूर्ण अवलोकन कर विधिसम्मत निर्णय व डिकी पारित की है । पैरोकार सरकार ने जवाब में यह भी कहा कि पहले राजस्व अपील प्राधिकारी ने ये आदेश दिये है कि विवादित आराजी का आवंटन या नियमन के लिए प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखा जावें । यह आदेश नहीं था कि अधीनस्थ न्यायालय डिकी पारित करें । विवादित आरांजी चारागाह रेकार्ड में दर्ज

26/9

है । उस पर डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती है । अतः तहत न्यायालय का निर्णय सही है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय द्वारा निर्णय में वाद वादी इस आधार पर खारिज किया है कि विवादित आराजी रेकार्ड में चारागाह दर्ज है और चारागाह पर डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती है ।

अपीलांट का मुख्य बिन्दू ये था कि विवादित आराजी को सरकार के आदेश से सिवायचक करने के आदेश दिये जा चुके हैं तथा पूर्व अपीलीय न्यायालयों के निर्णय से इस आराजी को वादी/अपीलांट को नियमन या आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जावें ।

अपीलांट द्वारा उपखण्ड स्तरीय आवंटन एवं सलाहकार समिति के समक्ष प्रकरण विचारार्थ रखा गया था, परन्तु वादी द्वारा धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट के तहत कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी चाही है ।

इस संबंध में तहत न्यायालय की पत्रावली व निर्णय के अवलोकन के बाद कानूनी बिन्दू यह सामने आया है कि अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी/वादी को पूर्व वाद में यह अनुतोष दिया था कि प्रार्थी के प्रकरण को नियमन व आवंटन के लिए रखा जावें जिस पर अलग से कार्यवाही होती है । यदि विवादित आराजी को चारागाह से सिवायचक करने के आदेश दिये है तो इसके लिए प्रार्थी या उपखण्ड अधिकारी स्वयं अलग से प्रशासनिक कार्यवाही करावें ।

जहां तक इस वाद को तहत न्यायालय ने चारागाह मानकर खारिज किया है, वह विधिसम्मत है । राजस्व न्यायालय से घोषणा के वाद के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है । इसलिए अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है और तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री उचित है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दि0 14.06.2016 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/9/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर